

पत्र संख्या/एफ0टी0. 48-2876/2014(एफ0सी0ए0)

वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषित: उप महा निर्देशक, वन (केन्द्रिय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), सुभाष रोड, देहरादून-248001

दिनांक शिमला-1

15 JAN 2021

विषय: **Diversion of 0.486 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Balhi to Chuwari (KMs. 0/00 to 1/00) within the jurisdiction of Bilaspur Forest Division, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8B-HP/06/19/2017-CHA/1583 दिनांक 31.10.2018 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्घातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

1. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1 है0 DPF Bariyance पर प्रतिपुरुक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतू (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा करवा दी गई है।
2. वन विभाग द्वारा 1.50 है0 C.No. H43E15 of village Chamarta, Tehsil Shree Nina Devi Ji Distt. Bilaspur वन भूमि पर दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतू (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) आवश्यक धनराशि जमा करवा दी गई है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा कर ली गई है।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007- एफ0सी0ए0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में, online mode के माध्यम जमा की है। प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी **165051 रु0** एवं उस पर आकस्मिक व्यय की राशी **6458/-रु0**, दण्डात्मक प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Penal Compensatory Afforestation) की राशी **247756 रु0** एवं उस पर आकस्मिक व्यय की राशी **9686/-रु0** शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी **320000 रु0** जो कुल **748771 रु0** बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है। Proforma की प्रतिलिपी आगामि कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

6. निर्माण कार्य के पश्चात जहां-जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का Plantation किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
7. No entry can be made in online Part-I & II after Stage-I approval at State level, therefore, copy of revised NPV bill is enclosed herewith.
8. No entry can be made in online Part-I & II after Stage-I approval at State level, therefore, copy of Penal CA scheme is enclosed herewith.

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाए।

संलग्न: उपरोक्त

पृष्ठांकन संख्या 0 एफ 0 टी 0 48-2876/2014(एफ 0 सी 0 ए 0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अरण्यपाल, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि 0 प्र 0।
2. वन मण्डल अधिकारी, बिलासपुर वन मण्डल, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
3. Executive Engineer, HPPWD Division Ghumarwain, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh.

भवदीय

नोडल आफिसर एवं अति 0 प्र 0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ 0 सी 0 ए 0) हि 0 प्र 0

15 JAN 2021
दिनांक शिमला-1

नोडल आफिसर एवं अति 0 प्र 0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ 0 सी 0 ए 0) हि 0 प्र 0।

13/01/2021